(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3400-दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-09-2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का प्रकरण क्रमांक 929/अपील/2013-14

.....

भगवान प्रसाद दीक्षित तनय स्व. रामगरीब दीक्षित
निवासी-ग्राम डढिया, तहसील- बहरी,
जिला-सीधी (म.प्र.)

----------आवेदक

विरूद्ध

1- शिवपूजन दीक्षित तनय स्व. त्रिशूलधारी दीक्षित
निवासी-ग्राम डढिया तहसील- बहरी,
जिला-सीधी (म.प्र.)

2- मध्यप्रदेश शासन, वनविभाग जरिये वन परिक्षेत्रधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई.पी. दुविवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री एन.एस. विर ट, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २१/०६/१४ को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक भगवान प्रसाद द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया की ग्राम डिढय स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा क्र. 427, 436

जुज से निर्मित खसरा क्र. 274 रकबा 27.52 एकड़, 273 रकबा 6.82 एकड़ 633 रकबा 5.12 एकड़ 634 रकबा 0.90 एकड़, 635 रकबा, 0.41 एकड़ कुल रकबा 39.96 एकड़ वर्ष 72-73 का अधिकार अभिलेख आवेदक की माँ के नाम तैयार की गई थी तथा वर्ष 2000-02 में भी अधिकार अभिलेख में भी आवेदक की माँ के नाम तैयार की गई है। किन्तु खसरा क्र. 274 रकबा 27.52 एकड़, 273 रकबा 6.82 एकड़ 633 रकबा 5.12 एकड़ 634 रकबा 0.90 एकड़, 635 रकबा, 0.41 एकड़ कुल रकबा 39.96 एकड़ से नवीन बन्दोबस्त् खसरा क्र. 260/2181 रकबा 16.17 का निर्मित किया गया, जिसमें आवेदक की मां के नाम के स्थान पर निरंक अंकित किया गया है। आवेदक ने लिपिकीय त्रुटी को सुधार कर अपनी माँ का नाम एवं स्वयं का नाम अंकित किये जावे । जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 04/स-129/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 08-12-2010 से संहिता की धारा 113 व 107(5) के तहत लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त करते हुये आवेदक की मां का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2013-14 में पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 09-09-2014 से अनावेदक की अपील को स्वीकार किया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08-12-2010 को निरस्त कर आवेदक की माँ इतरजुआ का नाम विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया । कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 09-09-2014 के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो प्रकरण 929/अपील/2013-14 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 17-09-2014 से अपील खारिज की गई तथा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक की पैतृक सम्पत्ति है, जो आवेदक की माँ इतरजुआ पत्नी रामगरीब के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है। आवेदक की माँ के नाम वर्ष 1953-54 में शासकीय भूमि का एलाटमेन्ट पट्टा प्रदान किया गया । वर्तमान में बन्दोबस्त के दौरान आवेदक की माँ का नाम इन्द्राज छोड़ दिया गया था, जिससे वर्ष 2001-02 में छोड़ दिया गया था तथा खसरे में उक्त आराजी में भूमिस्वामी का स्थान निरंक कर दिया था, जिसके सुधार हेतु आवेदक ने संहिता की धारा 113, 107 (5) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष आवेदन पेश किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार कर लिपिकीय त्रुटी दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया । किन्तु कलेक्टर सीधी एवं अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विधि के विपरीत मानकर निरस्त किया है, जो कि उचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक ने अवैधानिक तरीके से अपनी मॉ का नाम इन्द्राज करा लिया है, जबकि ग्राम डढिया की पुराना आराजी क्रमांक 427 व 436 वन विभाग की होकर शासकीय भूमि है। संहिता की धारा 113 के अतंर्गत केवल लिपीकीय त्रुटी को संशोधन का आदेश दिया जा सकता है किन्तु मध्यप्रदेश शासन की भूमि को भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज करने का आदेश संहिता की धारा 113 में नहीं दिया जा सकता। अत: निगरानी निरस्त की जावे ।

5/ उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटी को दुरूस्त किये जाने हेतु संहिता की धारा 113, 107 (5) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का परिशीलन किये बिना ही आवेदन स्वीकार करते हुये, लिपिकीय त्रुटी सुधार का आदेश पारित किया है । जबकि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का गंभीरता से परिशीलन करने के पश्चात विधिनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिये था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अवैधानिक आदेश पारित किया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 1973 में अधिकार अभिलेख तैयार करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक भूमि स्वामियों को अधिकार पर्ची दी जाती है, जिसमें पुराना एवं नवीन खसरा क्रमांक तथा रकबा का विवरण दर्ज रहता है, किन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है, जिससे की साबित हो सके की उक्त भूमि पर आवेदक की मॉ को स्वत्व एवं अधिपत्य प्राप्त है। जहॉ तक संहिता की धारा 113 का प्रश्न है, संहिता की धारा 113 के अतंर्गत केवल लिपीकीय त्रुटी को संशोधन का आदेश दिया जा सकता है किन्तु मध्यप्रदेश शासन की भूमि को भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज करने का आदेश संहिता की धारा 113 में नहीं दिया जा सकता । इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियां मध्यप्रदेश शासन की भूमियां थी, इसी कारण किसी व्यक्ति के नाम से खाता तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवां तहसील सिहावल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया है। जबकि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान बन्दोबस्त अभिलेख एवं रीनम्बरिंग सूची में 260/2181 का निर्माण बताया गया है, किन्तु उक्त आराजी नं. वर्तमान पटवारी अभिलेख में उल्लेख नहीं पाया जाता है । उक्त आराजी में वर्तमान में राजस्व सीमा में नहीं बताया गया है। स्थल पर उक्त भूमि वन एवं राजस्व की सीमा के मध्य पड़ी हुई है, जिससे यह भूमि मध्यप्रदेश शासन की होगी। अनुविभागीय अधिकारी ने इन विधिक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया है।

 प्र0क0—निग.—3400—दो/14

प्रकरण के अलवोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कलेक्टर सीधी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को फर्जी माना तथा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के आदेश को विधि के विरूद्ध मानते हुये निरस्त किया है। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये कलेक्टर सीधी के आदेश को विधिसंगत माना है एवं आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उसे कूटर चेत मानते हुये कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा है । अत: दोनों अधीनस्थ न्यायलयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

29/6/18

(आर.के. मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर